13.06.19

वकील अपीलार्थी उप० बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मिसल अदालत मातहत के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर स०मा० में अपील संख्या 21/18 पेश की थी जिसमे पारित निर्णय दिनांक 28.03.18 से अपील खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को छुपाते हुए पुनः नये सिरे से पेश की गई अपील Res Judicata की श्रेणी में आने के कारण अपील खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेखागार हो। मिसल अदालत मातहत पृथक का संबंधित न्यायालय को भिजवाई जावे।

यह निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 13.06.19 को सुनाया गया।

(signature)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)